रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-04112020-222944
SG-DL-E-04112020-222944

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237]	दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2020/कार्तिक 12, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 185
No. 237]	DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2020/KARTIKA 12, 1942	[N. C. T. D. No. 185

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 नवम्बर, 2020

फा. स. 166/डब्ल्यू. एफ.डी./सी.ओ.टी./19-20/5169-77.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा नई दिल्ली मे इंटरनेशनल बॉयज हॉस्टल के निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 2.008 हेक्टेयर (20080.22 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधो से छूट प्रदान करती है।

स्थान	परियोजना स्थल में कुल वृक्षों की संख्या	परियोजना स्थल में सुरक्षित वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			उपभोगी संस्था द्वारा अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
			काटे जाने वाले	प्रत्यारोपण हेतु	योग (प्रत्यारोपण/ काटे जाने वाले)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा नई दिल्ली में इंटरनेशनल	229	192	01	36	37	370

बॉयज हॉस्टल के निर्माण हेतु।						
योग	229	192	01	36	37	370

यह छूट निम्नलिखित शर्तो के अधीन है:-

1. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है, को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 21,09,000 /- रूपये (इक्कीस लाख नो हजार मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधो की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)	उपभोगी संस्था द्वारा 100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण (37 वृक्षो को काटने/ प्रत्यारोपण किए जाने वाले वृक्षो का दस गुना) अर्थात 370 पौधो का प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अमलतास, कचनार, पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद, देशी कीकर, अर्जुन, एवं अन्य देशी प्रजातियाँ का निम्नलिखित चार स्थलो पर किया जाएगा । 1. कावेरी अपार्टमेंट के पार्क के चारों ओर - 100 पौधे । 2. नेहरू प्रायोगिक खेल के मैदान के अंदर पार्क मे 3 तरफ-.100 पौधे । 3. कृषि कुंज की टाइप- I और II क्वार्टर्स की बाउंड्री वॉल के साथ - 112 पौधे। 4. एन॰आर॰एल॰ फार्म गेट से सब्जी प्रदर्शनी इकाई तक - 88 पौधे।	370	21,09,000 /-	उप–वन संरक्षक (पश्चिम) / वन अधिकारी
(ख)	उपभोगी संस्था द्वारा 36 वृक्षों का प्रत्यारोपण परियोजना स्थल से नीचे दिए विवरण के अनुसार किया जाएगा।			

क्रमांक	प्रजाति का नाम	वृक्ष संख्या	साइट का विवरण
1.	नीम	57, 103	गली न.-3 के सड़क के किनारे
2.	जामुन	64, 65, 66, 67	एवेन्यू के सड़क के किनारे (जेनेटिक्स डिविजन के पीछे)
3.	शहतूत	74	फ्रूट क्रॉप कैफेटेरिया ब्लॉकए टोट्डापुर ऑर्चर्ड (कावेरी अपार्टमेंट के पीछे)
4.	शहजन	87	-do-
5.	बेर	88, 89, 90, 91, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 116, 117, 118, 119, 134, 135.	-do-
6.	सीरिश	102	-do-
7.	चिटवान	219, 220, 221	-do-

2. उपरोक्त 1 (क) और (ख) के अनुसार, देशी प्रजातियों के 370 पौधो का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षो तक रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा किया जायेगा। इस वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपभोगी संस्था द्वारा निगरानी की जाएगी ।

3. उपभोगी संस्था द्वारा साइट के जीपीएस को-ऑर्डिनेट को इंगित करते हुए नए सिरे से ड्राइंग प्रस्तुत किया जाएगा, जहां वृक्षो का प्रत्यारोपण और प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है ।

4. 37 वृक्षो को काटे/ प्रत्यारोपण जाने के बदले मे 1:10 के अनुपात मे स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँचाई वाले 370 पौधो का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा । वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा और उसका रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा अपने स्वयं की लागत पर किया जाएगा।

5. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।

6. उपभोगी संस्था द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ प्रत्यारोपण स्थल में मृदा नमी संरक्षण कार्य की गतिविधियों को किया जाएगा ।

7. उपभोगी संस्था द्वारा अतिरिक्त साइट सुधार खर्चों को जमा किया जाएगा जो कि वृक्ष अधिकारी द्वारा गणना के अनुसार वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है ।

8. जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिया आवंटित है, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यो के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।

9. अनुमति जारी होने के तुरंत बाद वृक्षो का प्रत्यारोपण उपभोगी संस्था द्वारा शुरू किया जाएगा और इसे छः महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा । प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण रिपोर्ट संबन्धित वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी । प्रत्यारोपण स्थल मे प्रत्यारोपित वृक्षो की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए ।

10. वृक्षो को काटने/ प्रत्यारोपण के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षो और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है ।

11. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को काटने/ प्रत्यारोपण का कार्य सभी वैधानिक मंजूरियों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा ।

12. उपभोगी संस्था द्वारा 37 वृक्षो के अलावा किसी भी वृक्ष की कटाई / प्रत्यारोपण एक अपराध होगा ।

13. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो की प्रत्यारोपण की प्रगति रिपोर्ट संबंधित निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।

14. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को काटने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार के खाते मे राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।

15. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों के ऊपरी शाखाओं को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौपी जाएगी और इसकी सूचना वृक्ष अधिकारी (पश्चिम) को दी जाएगी ।

16. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को काटने के स्थल से लकड़ियों को ले जाने से पूर्व वृक्ष अधिकारी (पश्चिम) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

17. उपभोगी संस्था के द्वारा पर्यावरण मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जायेगा ।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

के आदेश से और उनके नाम पर,

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd November, 2020

F. No.166/WFD/COT/19-20/5169-77.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 2.008 ha. (20080.22 Sq. Mtr.) as detailed below for construction of International Boys Hostel at IARI, Pusa, Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location	Total No. of trees at the project site.	No. of trees to be saved at the project site.	Number of trees to be			Compensatory Plantation by User Agency (Number of trees)
			Felled	Transplanted	Total No. of trees (to be removed)	
(1)	(2)	(3)			(3)	(4)
Construction of International Boys Hostel at IARI, Pusa, Delhi	229	192	01	36	37	370
Total	229	192	01	36	37	370

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

1. Indian Agricultural Research Institute , herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs. 21,09,000 /- (Rupees Twenty One Lakh Nine Thousand Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows-

S.N.	Location of Compensatory plantation.	Number of saplings to be planted	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)	100% Compensatory Plantation ten times the number of trees permitted for felling/ transplanting of 37 trees i.e number of tree saplings proposed to be planted of species Neem, Amaltas, Kachnar Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad, Desi Kikkar and Arjun along with other native species shall be carried out by User Agency at the following four sites:- 1. All 4 sides of park infront of Kaveri Apartment- 100 saplings. 2. On 3 sides of park inside Nehru Experimental Playground-100 saplings. 3. Along Boundary wall of Type-I & II Qtrs. Of Krishi Kunj- 112 saplings. 4. From NRL Farm Gate to Vegetable Exhibition Uni- 88 trees..	370	21,09,000 /-	Deputy Conservator of Forests (West)/ Tree Officer
(b)	Transplantation of 36 no. of trees which are standing on site shall be done by User Agency in the location as mentioned given below:-			

S.N.	Species Name	Tree No.	Site Details
1.	Neem	57, 103	Street 3 along the road.
2.	Jamun	64, 65, 66, 67	Avenue 3 along the road (Opp. Genetics Div.)
3.	Shatoot	74	Fruit Crop Cafeteria Block, Totdapur Orchard (Opp. Kaveri Apartment)
4.	Sahjan	87	-do-
5.	Ber	88, 89, 90, 91, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 116, 117, 118, 119, 134, 135.	-do-
6.	Sirish	102	-do-
7.	Chitwan	219, 220, 221	-do-

2. 100% Compensatory Plantation of 370 saplings of native species shall be raised and maintained by User Agency for Seven years and monitored till its successful establishment as indicated at 1 (a) & (b) above.

3. The User Agency shall submit fresh drawing indicating the GPS Co-ordinates of site where trees shall be transplanted and compensatory plantation is proposed to be carried out.

4. Plants of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of removal/ transplantation of 37 no. of trees. The plantation shall be done by following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree felling/ removal permission and maintenance shall be carried out there after by User Agency with their own funds.

5. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.

6. The User agency shall implement the improved soil moisture conservation activities on compensatory plantation/ transplantation site utilizing the deposits made by user agency.

7. The User Agency shall also deposit extra site improvement expenses which may be required to make the site suitable for plantation as calculated by Tree Officer concerned (as deposits).

8. The land over which compensatory plantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of State Government.

9. Transplantation of trees shall be initiated immediately after permission is issued and should be completed not later than six months, after which a completion report has to be submitted to the concerned Tree Officer. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.
10. Permission for felling/ transplantation of all tress is being granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any rights(s) over the land or the trees.
11. Before the felling/ transplantation of trees from the site is commenced all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.
12. Felling/ transplantation of any tree apart from 37 trees by User Agency shall constitute an offence.
13. Progress report of transplantation shall be submitted to Tree Officer by User Agency through inspection officer concerned along with complete details of trees.
14. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.
15. The lops and tops of the trees shall be sent/ supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to DCF (West) by User Agency.
16. Before shifting of timber, if any**,** from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the DCF (West) by User Agency.
17. It should be ensured by the user agency that all the conditions mentioned in environmental clearance, if any obtained, shall be followed scrupulously.

By Order and in the Name of the Government

of National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Env. & Forests)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM